

फा.सं.1(1)/2012-ई-II (बी)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 03 अप्रैल, 2012

### कार्यालय ज्ञापन

**विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान - 01.01.2012 से लागू संशोधित दरें ।**


मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 03 अक्टूबर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(14)/2011-ई-II(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की मौजूदा 58 प्रतिशत की दर को 01 जनवरी, 2012 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है ।

2. इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय, इस मंत्रालय के 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं.1(3)/2008-संस्था-II(ख) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित उपबंध लागू होंगे ।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा ।

4. ये आदेश, रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा अनुमानों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा । सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे ।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।



( अनिल शर्मा )

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार) ।

प्रतिलिपि:-

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।